न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 51 / 2025
निर्णय दिनांक : 16.05.2025
GCMS NO : 2025/89

किशन लाल पुत्र बुधा राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता बसन्ती खेतान उपस्थित
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 308 / 54 तादादी 0.8092 हैक्टेयर वाके ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र बुधाराम दर्ज है, जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम किशन लाल पुत्र बुधा राम है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम डूंगरास अगुणा में प्रार्थी का नाम किशनराम पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बुधाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम किशनलाल पुत्र बुधाराम है। किशनलाल एवं किशनाराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र पेमाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम किशन लाल पुत्र बुधा राम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि का खेत खसरा संख्या 308/54 तादादी 0.8092 हैक्टेयर वाके ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज किशनाराम पुत्र बुधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डूंगरास अगुणा खातेदार के स्थान पर किशन लाल पुत्र बुधा राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी डूंगरास अगूणा खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आंज दिनांक 16.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)